मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 4:40 मिनट

जब बोर्ड जाँच द्वारा इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी उम्र के बच्चे ने छोटा–मोटा अपराध (Petty Offence) या गंभीर अपराध किया है या एक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने जघन्य अपराध किया है तब अपराध की प्रकृति, निरीक्षण और हस्तक्षेप की विशिष्ट जरूरतों, परिस्थितियों जो सामाजिक जाँच रिपोर्ट से प्राप्त हुई तथा बच्चे के पूर्व के आचरण के आधार पर बोर्ड यदि उचित समझता है तो:

- उपयुक्त जाँच और बच्चे तथा उसके माता–पिता या अभिभावक को परामर्श देने के बाद सलाह या चेतावनी देकर घर जाने की अनुमति दे सकता है।
- बच्चे को समूह परामर्श या इससे मिलती–जुलती गतिविधियों में भाग लेने का निर्देश दे सकता है।
- किसी संस्थान या किसी विशेष व्यक्ति, बोर्ड द्वारा चिन्हित लोगों के समूह के निरीक्षण में सामुदायिक कार्य करने का आदेश दे सकता है।
- बच्चे, उसके माता–पिता या उसके अभिभावक को जुर्माना देने का आदेश दे सकता है।
- बच्चे को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है और किसी भी माता–पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जा सकता है या ऐसे माता–पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा जो बच्चे के अच्छे व्यवहार और खुशहाली का सशर्त या बिना शर्त के इकरारनामा (जैसा बोर्ड चाहे) देंगे। यह इकरारनामा तीन वर्ष या उससे कम समय का होगा।
- बच्चे को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है और किसी उपयुक्त सुविधा की देखरेख और निरीक्षण में रख सकता है ताकि बच्चे का अच्छा व्यवहार और खुशहाली सुनिश्चित हो सके, जिसकी समयावधि तीन वर्ष से अधिक न हो।
- बच्चे को अधिक से अधिक तीन वर्ष या जो उपयुक्त समझे, विशेष गृह भेजने का निर्देश दे सकता है ताकि सुधारात्मक सेवाएं, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार में सुधार की चिकित्सा और मनोचिकित्सीय सहायता शामिल है, विशेष गृह में निवास के दौरान दी जा सकें।
- यदि बच्चे का आचरण और व्यवहार ऐसा रहा है जो बच्चे के हित में नहीं है या विशेष गृह में रह रहे अन्य बच्चों के हित में नहीं है तो बोर्ड ऐसे बच्चे को सुरक्षित स्थान में भेज सकता है।
- इन आदेशों के अतिरिक्त बोर्ड अन्य आदेश भी पारित कर सकता है यथा:
    - बच्चा स्कूल जाए
    - व्यावसायिक प्रशिक्षण में शामिल हो
    - उपचारात्मक केन्द्र में शामिल हो या
    - बच्चे को कहीं जाने, बार–बार किसी विशेष स्थान पर दिखने से मना किया जा सकता है या

    - नशा–मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होना

जिस बच्चे ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है उससे संबंधित आदेश (धारा 17, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- जाँच के बाद जब बोर्ड आश्वस्त हो कि उसके समक्ष लाए गए बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है तब उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ विपरीत होने पर भी, बोर्ड तत्काल प्रभाव से आदेश पारित कर सकता है।
- यदि बोर्ड को यह लगता है कि बच्चे को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह उपयुक्त निर्देशों के साथ बच्चे को बाल कल्याण समिति के पास संदर्भित कर सकता है।